न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 827/2022

अनवान : –

1. मुन्नीगिर पुत्र चतरगिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी सिरंगसर तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. चतरगर उर्फ चतरगिर पुत्र लिखमगर उर्फ लिखमीगीर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी सिरंगसर तहसील नोहर ।
2. गणपत गिर पुत्र चतरगिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी सिरंगसर तहसील नोहर ।
3. हस्तीगिर पुत्र चतरगिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी सिरंगसर तहसील नोहर ।
4. सुरेशगिर पुत्र चतरगिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी सिरंगसर तहसील नोहर ।
5. शंकर गिर पुत्र चतरगिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी सिरंगसर तहसील नोहर ।
6. ओम प्रकाश पुत्र चतरगिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी सिरंगसर तहसील नोहर ।
7. जमना देवी पुत्री चतरगिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी सिरंगसर तहसील नोहर ।
8. मन्जू देवी पुत्री चतरगिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी सिरंगसर तहसील नोहर ।
9. सिलोचना पुत्री चतरगिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी सिरंगसर तहसील नोहर ।
10. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री सुबोध शर्मा अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक: 17/2/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक सिरंगसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता स. 111/107 की कुल 13.3460 हैक्ट भूमि व खाता स0 110/221 की 8.8520 हैक्ट भूमि में से 4453/44275 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण [illegible] भूमि [illegible] नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक सम्पति है। जिस [illegible] प्रतिवादी सं0 2 ता 9 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक [illegible] प्रतिवादीगण के मध्य हुए पारिवारिक समझौते अनुसार रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता स0 111/107 की 13.3460 हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 6 को को [illegible] व रोही मौजा सिरंगसर के खाता स0

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:37:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

110/221 का कुल क्षेत्रफल 8.8520 हैक्ट मे से 445/44275 हिस्सा की वाद भूमि प्रतिवादी स्वयं ने अपने नाम रख ली । प्रतिवादी सं0 1 ने अन्य कृषि भूमि में अपना हिस्सा स्वीकार किया था इस प्रकार वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रतिवादीया स0 7 ता 9 जो कि वादी की बहिने है वादी की बहिन है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर दिया है। इसलिए वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 6 का हक व हिस्सा है। वादी एवं प्रतिवादीगण अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को काफी मर्तबा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 9 ने जरिये अधिवक्ता दावा की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण का कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 10 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी स0 7 ता 9 जो की वादी की बहिन है, के द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी में रोही मौजा चक सिरंगसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-[illegible] की कुल 13.3460 हैक्ट भूमि व खाता स0 110/221 की 8.8520 हैक्ट भूमि में [illegible]453[illegible]275 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत [illegible] से दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा पेश [illegible]सरकार द्वारा जारी सदस्य प्रमाण पत्र व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा [illegible]वादी सं0 1 चतरगर उर्फ चतरगिर के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 के नाम उपरोक्त वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:37:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

भूमि के अलावा अन्य कृषि भूमि स्थित है। प्रतिवादी सं0 7 ता 9 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 6 के के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वादी वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता स0 111/107 के की 13.3460 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 1 व प्रतिवादी सं0 2 ता 6 को बराबर हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा सिरंगसर के खाता स0 110/221 की कुल 8.8520 हैक्ट भूमि में से 4453/44275 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रखी जाती है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14/12/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:37:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर नोहर
जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 827/2022

अनवान : –

1. मुन्नीगीर पुत्र चतरगिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी सिरंगसर तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. चतरगर उर्फ चतरगिर पुत्र लिखमगर उर्फ लिखमीगीर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी सिरंगसर तहसील नोहर ।
2. गणपत गिर पुत्र चतरगिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी सिरंगसर तहसील नोहर ।
3. हस्तीगीर पुत्र चतरगिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी सिरंगसर तहसील नोहर ।
4. सुरेशगिर पुत्र चतरगिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी सिरंगसर तहसील नोहर ।
5. शंकर गिर पुत्र चतरगिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी सिरंगसर तहसील नोहर ।
6. ओमप्रकाश पुत्र चतरगिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी सिरंगसर तहसील नोहर ।
7. जमना देवी पुत्री चतरगिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी सिरंगसर तहसील नोहर ।
8. मन्जू देवी पुत्री चतरगिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी सिरंगसर तहसील नोहर ।
9. सिलोचना पुत्री चतरगिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी सिरंगसर तहसील नोहर ।
10. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा व वकील प्रतिवादी श्री सुबोध शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता स0 111/107 के की 13.3460 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 1 व प्रतिवादी सं0 2 ता 6 को बराबर हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा सिरंगसर के खाता स0 110/221 की कुल 8.8520 हैक्ट भूमि में से 4453/44275 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रखी जाती है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामज कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 7/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:37:47 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Scanned with CamScanner